न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 67 / 2020 – निगरानी

लक्ष्मण पुत्र घीसु बलाई, निवासी परडोदास तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र घासीराम जाट, निवासी गढ़वालों का खेड़ा तहसील हुरड़ा
2. बद्री लाल पुत्र घासीराम जाट, निवासी गढ़वालों का खेड़ा तहसील हुरड़ा
3. केदारमल पुत्र घासीराम जाट, निवासी गढ़वालों का खेड़ा तहसील हुरड़ा
4. कैलाशचन्द्र पुत्र घासीराम जाट, निवासी गढ़वालों का खेड़ा तहसील हुरड़ा
5. प्रेम देवी पुत्री घासीराम पत्नी देवा जाट, निवासी गढ़वालों का खेड़ा हाल निवासी नया खेड़ा पोस्ट टोंकरवाड तहसील हुरड़ा
6. मांगी देवी पत्नी घासीराम जाट, निवासी गढ़वालों का खेड़ा तहसील हुरड़ा
7. ग्राम पंचायत गढ़वालो का खेड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत गढ़वालो का खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत गढ़वालो का खेड़ा के संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.02.2001 के अनुसरण में जारी पट्टे के विरूद्ध

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित –

1. श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.06.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 94 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत गढ़वालो का खेड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 से 05 के पिता गैर निगराकार संख्या 06 के पति घासीराम आत्मज लक्ष्मण जाट निवासी गढ़वालो का खेड़ा को दिनांक 20.11.2001 को 25,574 वर्गफीट भूमि का सनद पट्टा जारी किया गया, जो पंचायत राज नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। पट्टाधारी घासीराम जाट की मृत्यु हो चुकी है। गैर निगराकार संख्या 01 से 06 मृतक घासीराम के पुत्र, पुत्री एवं पत्नी होकर घासीराम के उत्तराधिकारी है। ग्राम पंचायत गढ़वालो का खेड़ा का तात्कालीन सरपंच गैर निगराकार संख्या 01 जगदीश जाट था, जो पट्टाधारी घासीराम का पुत्र है। सरपंच जगदीश जाट ने अपने पिता घासीराम के पक्ष में पट्टा जारी किया

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जारी कर विधि विरूद्व कार्य किया हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने पिता के नाम पटटा जारी किया गया हैं, जबकि सरपंच अपने या अपने परिवार के नाम पर इस प्रकार भूखण्ड खरीद करने के लिए सशक्त नहीं हैं। यहां पर गैर निगराकार संख्या 01 जो विवादित भूखण्ड विक्रय करने के कार्यकाल में सरपंच ग्राम पंचायत गढ़वालों का खेडा के पद पर पदासीन था, तो उसे अपने पिता के पक्ष में उसी ग्राम पंचायत के भूखण्ड को विक्रय करने का वैधानिक अधिकार नहीं था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नियमों में अंकित व्यवस्थाओं के विपरीत अपने पिता के नाम से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में भूखण्ड का पटटा जारी किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण भूखण्ड के संबंध में जारी किया गया पटटा भी दोषपूर्ण हो जाता हैं। निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरूद्व पटटा जारी होने से पटटा खारिज योग्य ठहरता हैं। निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 94 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा द्वारा जारी पटटा संकल्प सं. 02 दिनांक 20.02.2001 के संबंध में निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा तहसील हुरडा द्वारा जारी पटटा संकल्प सं. 02 दिनांक 20.02.2001 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा तहसील हुरडा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा